न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 48/2012

वादीः—

1. गोपाल पाण्डे (गोकुल चंद) पुत्र श्री सरदारमल जी उम्र 58 (अठावन) वर्ष, जाति पान्डिया ब्राह्मण निवासी डेण्डा, तहसील पाली जिला पाली हाल निवासी ऐलमा बाजार, वरंगल (आन्ध्र प्रदेश)

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. मांगीलाल पुत्र सरदारमल जी के कायम मुकाम
   - 1/1 रतनी देवी पत्नी मांगीलाल उम्र 65 वर्ष,
   - 1/2 सुरज पुत्र मांगीलाल, उम्र 35 वर्ष
   - 1/3 प्रकाश पुत्र मांगीलाल, उम्र 33 वर्ष, जातिगण ब्राह्मण
   - 1/4 तारा पत्नी हरीश कुमार पुत्री मांगीलाल जी जाति ब्राह्मण, निवासी कुरना तह. पाली जिला पाली।
2. पुखराज पुत्र सरदामल जी जाति ब्राह्मण निवासी डेण्डा तहसील पाली जिला पाली (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पाली।

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम पंचारिया,दिनेश कुमार वैष्णव विद्वान अभिभाषक वादी।
2. सरकारी पैराकार श्री केसर सिंह राठौड़, तहसीलदार पाली।

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट

—:आदेशः— दिनांक 28.02.2020

1. वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डेन्डा तहसील पाली में सरदारमल पुत्र जवान जी पान्डिया जाति ब्राह्मण निवासी डेन्डा तहसील पाली की निम्न खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है—

खसरा संख्या	रकबा	किस्म
861	23 बीघा 10 बीस्वा	बारानी दोयम
1526	14 बीघा 11 बीस्वा	बारानी दोयम
1129	31 बीघा 9 बीस्वा	चाही दोयम
1143	3 बीघा	बारानी दोयम
1126	1 बीस्वा	तेड़
1128	8 बीस्वा	कुआ
997	11 बीघा 6 बिस्वा	बारानी दोयम
1624	18 बीघा 14 बीस्वा	बारानी दोयम
1540	9 बीघा 7 बीस्वा	बारानी दोयम
1539	1 बीस्वा	तेड़
1661	5 बीस्वा	तेड़
1549	1 बीघा 12 बीस्वा	

Rahi

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

1548	1 बीघा 5 बीस्वा	

उपरोक्त खसरा की भूमि वादग्रस्त भूमि सम्बोधित की जा रही हैं। खातेदार सरदारमल पुत्र जवान जी के जीवन काल में तीन पुत्र वादी व मांगीलाल व पुखराज जी उत्पन्न हुए। सरदारमल जी ने अपने जीवन काल में अपनी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में से अलग अलग खसरों की भूमि अपने तीनों पुत्रों को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 09.08.1988 को निष्पादित कर प्रदान की जिसमें पुत्र मांगीलाल को खसरा नम्बर 861 व 1526 इसी प्रकार पुत्र पुखराज को खसरा नम्बर 1129, 1143,1126 व 1128 की भूमि एवं वादी को खसरा नम्बर 997, 1624,1540,1539,1661,1549 व 1548 की भूमि जरिये वसीयत नामा के निष्पादित कर प्रदान की। वादी व प्रतिवादी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 07.11.1993 को हो गया। जिनकी मृत्यु पश्चात् उक्त वसीयत नामा दिनांक 09.08.1988 अनुसार नामांतरण दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी पुखराज ने आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर वसीयतनामा के अनुसार नामांतरण दर्ज हुआ। उक्त वसीयतनामा मे वादी का नाम बोलते नाम गोकुल चंद दर्ज कर दिया एवं उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे गोकुल चन्द दर्ज हो गया जबकि वाद का नाम सभी सरकारी रेकर्ड मे गोपाल पान्डे नाम दर्ज है। वादी ने अपनी कृषि भूमि की उन्नत काश्त हेतु भूमि विकास बैंक से ऋण लेने हेतु आवेदन दिनांक 06.09.2018 को पेश किया जिस पर बैंक मैनेजर ने वादी के सरकारी रेकर्ड में व जमाबंदी मे अलग अलग नाम होने से उक्त रेकर्ड का सही संधारण किये जाने के बाद बैंक से ऋण देने का आश्वासन दिया। जब तक जमाबंदी मे गोकुल चन्द के स्थान पर गोपाल पान्डे दर्ज नही होने पर ऋण दिया जाना असम्भव बताया गया। इस अनुसार पान्डे दर्ज नही होने पर ऋण दिया जाना असम्भव बताया गया। इस अनुसार राजस्व रेकर्ड में गोकुल चंद के स्थान पर गोपाल पान्डे नाम दर्ज कराने हेतु वादी की ओर से लिखित मे आवेदन प्रतिवादी तहसीलदार पाली के समक्ष दिनांक 10.09.2018 को प्रस्तुत किया जिस पर उन्होनें समक्ष न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर एवं नाम की घोषणा कराने के बाद राजस्व रेकर्ड मे उसका नाम गोपाल पान्डे दर्ज किया जाना बताया जिसके अनुरूप यह वाद वास्ते उसके नाम की घोषणा हेतु विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी सरकारी रेकर्ड जिसमे पेन कार्ड संख्या AMZPP1160H में गोपाल पान्डे तथा आधार संख्या 8268 4234 2973 मे गोपाल पान्डे पुत्र सरदारमल जी दर्ज है। व राशन कार्ड मे भी गोपाल पान्डे दर्ज है। उक्त सरकारी रेकर्ड मे नाम गोपाल पान्डे दर्ज है लेकिन वादी का उसकी वादग्रस्त भूमि मे दर्ज वसीयतनामा अनसुार गोकुल चन्द नाम दर्ज हो गया है उक्त नाम अनुसार राजस्व जमा बंदी मे निरन्तर यही नाम गोकुल चन्द दर्ज हो रहा है। जबकि गोकुल चंद व गोपाल पान्डे एक ही व्यक्ति वादी का नाम है जिसमे कोई विराधाभासी विरोध नही है। वादी ने अपनी ग्राम पंचायत डेन्डा के सरपंच से प्रमाण पत्र दिनांक 10.09.2018 को प्राप्त किया। जिसमें प्रमाणित किया कि सरदारमल पुत्र जवान जी जाति ब्राहमण के पुत्र गोकुल

सहायक कलेक्टर
पाली

चन्द का नाम उसका बचपन से बोलता नाम है जिसका सराकरी रेकर्ड मे नाम गोपाल पान्डे दर्ज है। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति वादी का नाम है। अतः ग्राम डेन्डा के खसरा नम्बर 997, 1624,1540,1539,1661,1549,1548 की राजस्व जमाबंदी मे दर्ज वादी के बोलता नाम गोकुल चंद के स्थान पर उसके सरकारी रेकर्ड मे दर्ज नाम गोपाल पान्डे के अनुसार राजस्व जमाबंदी मे उक्त अशुद्धि की शुद्धि कराते हुए गोकुल चंद पुत्र सरदारमल के स्थान पर गोपाल पान्डे पुत्र सरदारमल नाम दर्ज किये जाने की आज्ञाप्ति पारित की जावे।

2. वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 09.08.1988 मे मृतक सरदारमल के जायन्दा पुत्र मांगीलाल, पुखराज व गोकुलचंद के नाम से की गई थी। जिस वसीयत मे मृतक सरदारमल का पुत्र गोकुलचंद नाम लिखा हुआ है जो पहले घेरलू बोलचाल की भाषा मे बोलने के कारण लिखा हुआ है जबकि सरकारी आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड व पंचायत डेण्डा द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त गोकुल चंद नाम का व्यक्ति ही गोपाल पाण्डे है, गोकुलचंद व गोपाल पाण्डे अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। जिससे गोपाल पाण्डे के नाम से उक्त कृषि भूमि का म्यूटेशन भरा जाना न्यायाहित में है।

4. वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए वादी साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया।

5. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक वादी ने बहस के द्वौराने निवेदन किया कि ग्राम डेन्डा के खसरा नम्बर 997, 1624,1540,1539,1661,1549,1548 की राजस्व जमाबंदी मे दर्ज वादी के बोलता नाम गोकुल चंद के स्थान पर उसके सरकारी रेकर्ड मे दर्ज नाम गोपाल पान्डे के अनुसार राजस्व जमाबंदी मे उक्त अशुद्धि की शुद्धि कराते हुए गोकुल चंद पुत्र सरदारमल के स्थान पर गोपाल पान्डे पुत्र सरदारमल नाम दर्ज किये जाने की आज्ञाप्ति पारित की जावे।

7. सरकारी पैरोकार ने भी बहस के द्वौरान स्वीकार किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 09.08.1988 मे मृतक सरदारमल के जायन्दा पुत्र मांगीलाल, पुखराज व गोकुलचंद के नाम से की गई थी। जिस वसीयत मे मृतक सरदारमल का पुत्र गोकुलचंद नाम लिखा हुआ है जो पहले घेरलू बोलचाल की भाषा मे बोलने के कारण लिखा हुआ है जबकि सरकारी आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड व पंचायत डेण्डा द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त गोकुल चंद नाम का व्यक्ति ही गोपाल पाण्डे है, गोकुलचंद व गोपाल पाण्डे अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। जिससे गोपाल पाण्डे के नाम से उक्त कृषि भूमि का म्यूटेशन भरा जाना न्यायाहित में है।

Rahl

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली
इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या 48 सन् 2012
अंतर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री श्याम पंचारिया, दिनेश कुमार वैष्णव विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व केसर सिंह, तहसीलदार, पाली मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की सादिर की जाती है कि ग्राम डेन्डा के खसरा नम्बर 861,1526,1129,1143,1126,1128, 997, 1624,1540,1539,1661,1549,1548 की राजस्व जमाबंदी मे दर्ज वादी का गोकुचन्द के स्थान पर गोपाल पाण्डे के नाम दर्ज कराने का तहसीलदार पाली को आदेश दिया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 02 सन्. 2020 .को जारी की गई।

दस्तखत....Rohit....
ओहदा....सहायक कलेक्टर पाली....

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Rohit
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

8. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायें गये दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 09.08.1988 मे मृतक सरदारमल के जायन्दा पुत्र मांगीलाल, पुखराज व गोकुलचंद के नाम से की गई है। जिस वसीयत मे मृतक सरदारमल का पुत्र गोकुलचंद नाम लिखा हुआ है जो सरकारी पैरोकार ने बहस के द्वौरान बताया कि घेरलू बोलचाल की भाषा मे बोलने के कारण लिखा हुआ है जबकि सरकारी आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड व पंचायत डेण्डा द्वारा जारी प्रमाण पत्र अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त गोकुल चंद नाम का व्यक्ति ही गोपाल पाण्डे है। गोकुलचंद व गोपाल पाण्डे अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। इसलिये गोकुलचंद के स्थान पर गोपाल पाण्डे का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की सादिर की जाती है ग्राम डेन्डा के खसरा नम्बर 861,1526,1129,1143,1126,1128, 997, 1624,1540,1539,1661,1549,1548 की राजस्व जमाबंदी मे दर्ज वादी का गोकुचन्द के स्थान पर गोपाल पाण्डे के नाम दर्ज कराने का तहसीलदार पाली को आदेश दिया जाता है। पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि मे प्रस्तुत करे। डिकी परचा मुर्तिब हो। इस निर्णय डिकी परचा की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, पाली को प्रेषित की जावें। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

Rahul

सहायक कलेक्टर
पाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पाली

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 18:09:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: